तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 105/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/399) बअनवान बंशीलाल बनाम ताराचंद इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

प्रथम लिंक अधिकारी

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

बंशीलाल

बनाम

ताराचंद इत्यादि

उपस्थित

1. श्री इकबाल खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री लाधुराम पूनिया, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 15 व 17

आदेश

दिनांक 27 मई 2026

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 229/2024 बउनवान बंशीलाल बनाम ताराचन्द वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 04 अगस्त 2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा फुलण, पटवार हल्का सांवरडा तहसील समदड़ी के खेत खसरा संख्या 174 रकबा 13.7917 हैक्टेयर, खसरा संख्या 110 रकबा 06961 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 208 रकबा 6.4750 हैक्टेयर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 18 की सामलाती खातेदारी की अविभाजित भूमि है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलांट/वादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारे के वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। रेस्पोडेंट्स मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द–बुर्द करने, मौके पर उपजाउ भूमि पर कब्जा करने तथा अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने पर आमादा है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का आदेवन पेश कर अपीलांट/वादी के कब्जा–काश्त की भूमि में दखलअंदाजी नहीं करने एवं वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति की अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का निवेदन स्वीकार कर आदेश दिनांक 27.12.2024 के जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2025 के जरिये रेस्पो. सख्या 15 को अंतरिम आदेश से मुक्त कर दिया। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 15 बिना विधिक बंटवारा किये ही हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बेचान करने, अपीलांट के कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है। अगर रेस्पोडेन्ट अपने उक्त मकसद में सफल रहा तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई की जानी संभव नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो मनमाना, विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से विधि की दृष्टि से दूषित है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु अपीलांट के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधिन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई एवं जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 229/2024 बउनवान बंशीलाल बनाम ताराचन्द वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 निरस्त फरमाया जावें एवं वादग्रस्त आराजीयात के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो. की खातेदारी की भूमि है। उभय पक्ष अपने हक–हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट के हक–हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नहीं की जा रही है। कानूनन रेकर्डेड सहखातेदार को अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग–उपभोग करने एवं उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है अपीलांट अपने हक–हिस्से से अधिक वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत रेस्पो. संख्या 15 के हिक–हिस्से की भूमि को अस्थाई निषेधाज्ञा से विधिसम्मत रूप से मुक्त किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि प्रकट होती है। रेस्पोडेंट्स का कथन है कि उभय पक्ष अपने हक–हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। कानूनन मौके पर अपने हक–हिस्से अनुसार काबिज सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा केवल रेस्पोडेंट संख्या 15 के हक–हिस्से की भूमि को अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त किया गया है। अपीलांट की भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा अनवरत जारी रहने से उसके हक–हिस्से की भूमि संरक्षित है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अपीलांट के हिस्से की भूमि को संरक्षित रखते हुए रेस्पोडेंट संख्या 15 के हिस्से की भूमि को अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त किये जाने का विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। लिहाजा प्रकरण के त्वरित निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देश जारी किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जुलाई 2025 को यथावत रखा जाता

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 105/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/399) बअनवान बंशीलाल बनाम ताराचंद इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर